

परिपत्र संख्या-विधि-2(1)फार्म मिसिंग-(7)(2008-2009) ०८०९०९२ /वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // ३० दिसम्बर, 2008

नोटिस

केन्द्रीय बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश नियमावली, 1957 के नियम -8 के उपनियम -13 के प्राविधानों के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी, जिन्हें निम्न क्रमांक के फार्म-सी, वार्षिक्य कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्यापारियों से भरे हुए प्राप्त हुए थे, खो जाने / नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुयी है। किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा:-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1	सर्वश्री आनन्द ट्रिप्लैक्स बोर्ड लिं ०८-६० साकेत, मेरठ	फार्म "सी" संख्या-25-463344	--	01
2	मेसर्स क्वालिटी ट्रेडर्स, होटल आकाश दीप बांसमंडी, बरेली	फार्म "सी" संख्या-0499936 एवं 0499937	खोने के कारण	02
3	सर्वश्री इलाहाबाद होजरी एण्ड जनरल स्टोर, चाहचंद, इलाहाबाद	फार्म "सी" संख्या-1553599, 1553600, 1553601, 1553602, 1553603	खोने के कारण	05
4	सर्वश्री संतोष ब्रादर्स मौतीबाग, बुलन्दशहर	फार्म "सी" संख्या-1406228	खोने के कारण	01
5	सर्वश्री एन० एच० ट्रेइंग कम्पनी ५०४/१२१ टैगोर मार्ग, नद्वा कालेज, डालीगंज लखनऊ	फार्म "सी" संख्या-1562775 एवं 1562776	असिंकमिंवाणिज्य कर पंजीयन प्रक्रोष्ट लखनऊ के पत्रांक ३२९ दि-०१-११-०८ के अनुसार व्यापारी को जारी टिन न०-०९१५०००२७५९ प्रभावी दिनांक-१५-१२-०७ को, आदेश दि-०-१२-११-०८ के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। दर्शित दोनों फार्म 'सी' अवशेष हैं, जिनका प्रयोग अवैध होगा।	02
6	मेसर्स एपेक्स शू कम्पनी प्रा०लि० २/१ सेक्टर न०-२२, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जगदीशपुर, सुल्तानपुर	फार्म "सी" संख्या-1976381 एवं 1976382	खोने के कारण	02
7	सर्वश्री गोयल एसोसिएट्स ११४, छिपीवाडा, मेरठ	फार्म "सी" संख्या-0159702	खोने के कारण	01

9	सर्वश्री सूर्या रोशनी लि0, काशीपुर(उत्तराखण्ड) (आयुक्त कर, उत्तराखण्ड देहरादून के विज्ञप्ति संख्या 2968 दिनांक 04- 12-2008 के अनुसार)	फार्म "सी "संख्या- U.A./C-2001-213871 & U.A.VAT/D(T)-2006-005295	खोने के कारण	02
---	---	--	--------------	----

५०१
(के० सी० केसरवानी)
एडीशनल कमिश्नर (विधि)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पू०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, ३०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में श्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, ३०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-२, ३०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 4- समस्त आयुक्त व्यापार कर/ वैट/ वाणिज्य कर / आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भारत सरकार के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित संघों को ।
- 5- महालेखाकार, ३०प्र० १७१-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- 6- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-१ वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 8- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 9- समस्त डिप्टी कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 10- ज्वाइन्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य)वाणिज्य इलाहाबाद, लखनऊ ।
- 11- समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों ।
- 12- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय ।
- 13- सूचना केन्द्र को ५ अंतिरिक्त प्रतियों ।
- 14- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को ५ प्रतियों एवं विधि अनुभाग को १५ अंतिरिक्त प्रतियों ।

५०१
(सुशील कुमार दुबे) ३१।१०।०८
वाणिज्य कर अधिकारी (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय ।